रजिस्ट्री सं. डी एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 1995/पौष 20, 1916
No. 16] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 1995/PAUSA 20, 1916

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1995

सा. का. नि. 22(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय महिला आयोग (वार्षिक लेखा विवरण और वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) अभिप्रेत है:

(ख) "लेखापरीक्षा अधिकारी" से आयोग के खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है।

3. आयोग के लेखे :—प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आयोग का वार्षिक लेखा विवरण सदस्य-सचिव या आयोग के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे सदस्य-सचिव इस निमित्त प्राधिकृत करे, तैयार किया जाएगा।

(2) आयोग द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित वार्षिक लेखा विवरण सदस्य-सचिव द्वारा केन्द्रीय सरकार को उस तारीख तक, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा जब भी मांग की जाए आयोग, वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान किए

गए व्यय की प्रगति और किए जाने वाले संभावित व्यय की तिमाही पुनर्विलोकन रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

(4) सदस्य-सचिव, आयोग के लेखाओं के रखे जाने, वित्तीय विवरणों और विवरणियों के संकलन का पर्यवेक्षण करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि आयोग के खातों की लेखापरीक्षा करने के प्रयोजन के लिए लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित आयोग के सभी खाते, पुस्तकें, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागजपत्र उस अधिकारी के नियंत्रण में रखे गए हैं।

(5) आयोग के लेखे, जिसके अंतर्गत भी हैं प्रारंभिक लेखे, उसके गठन की तारीख से, प्ररूप "क" में रखे जाएंगे।

(6) वार्षिक लेखा विवरण सदस्य-सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित होगा।

(7) वार्षिक लेखा विवरण, उस वर्ष के, जिससे लेखा संबंधित है आगामी 30 जून को या उससे पूर्व, लेखापरीक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा तथा लेखापरीक्षा अधिकारी आयोग के खातों की लेखापरीक्षा करेगा और उसके संबंध में रिपोर्ट देगा।

(8) आयोग, लेखापरीक्षा रिपोर्ट के प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर, उसमें बताई गई किसी त्रुटि या अनियमितता का उपचार करेगा तथा उस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में केन्द्रीय सरकार और लेखा परीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

4. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट :

(1) सदस्य-सचिव या सदस्य-सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग का कोई अन्य अधिकारी, अधिनियम की धारा 13 में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट, उस वित्तीय वर्ष की जिससे वह रिपोर्ट संबंधित है, 31 जुलाई को या उससे पूर्व आगामी प्ररूप में तैयार करेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट, आयोग द्वारा अनुमोदन के पश्चात्, सदस्य-सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित होगी।

(3) अधिप्रमाणित रिपोर्ट की प्रतियां सदस्य-सचिव द्वारा केन्द्रीय सरकार को उस वर्ष के, जिससे वार्षिक रिपोर्ट संबंधित है, आगामी अगस्त के अंत तक प्रस्तुत की जाएगी ताकि केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 14 के अधीन यथापेक्षित कार्रवाई कर सके।

[फा. सं. 9—61/90—म.क.]
एस. के. गुहा, संयुक्त सचिव

प्ररूप-"ख"

[नियम 4 (1) देखिए]

वार्षिक रिपोर्ट

अप्रैल, 19 — 19— के वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट

1. प्रस्तावना

2. आयोग का गठन, जिसके अंतर्गत उसमें किए गए परिवर्तन भी हैं

3. आयोग की बैठकें

4. समितियों की नियुक्ति

5. समितियों की बैठकें

6. निम्नलिखित के संबंध में संक्षिप्त रिपोर्ट,

(क) संविधान और अन्य विधियों के अधीन महिलाओं के लिए उपबंधित संरक्षणों का अन्वेषण तथा परीक्षण और उस पर की गई सिफारिशें;

(ख) महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान और अन्य विधियों के विद्यमान उपबंधों का पुनर्विलोकन तथा उनके संबंध में संशोधनों के बारे में सिफारिशें और सुझाए गए विधायी अध्युपाय;

(ग) संविधान और अन्य विधियों के उपबंधों के अतिक्रमण महिलाओं को अधिकारों से वंचित किए जाने, नीति विषयक विनिश्चयों, मार्गदर्शक सिद्धांतों अनुदेशों, आदि का अनुपालन न किए जाने के समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाए गए मामले;

(घ) महिलाओं के प्रति विभेद और अत्याचारों से उत्पन्न विशिष्ट समस्याओं या स्थितियों के बारे में विशेष अध्ययन या अन्वेषण तथा उन्हें दूर करने के लिए युक्ति के बारे में सिफारिशें;

(ङ) आयोग द्वारा सभी क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए संवर्धनात्मक और शैक्षणिक अनुसंधान;

(च) जेलों, सुधार-गृहों, महिला संस्थाओं या महिलाओं के लिए अन्य समरूप अभिरक्षा स्थानों का निरीक्षण और इस संबंध में की गई उपचारात्मक कार्रवाई;

(छ) बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित मुकदमे का वित्तपोषण;

(ज) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उसके संबंध में दी गई सलाह;

(झ) संघ और किसी राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन ;

(ञ) महिलाओं के लिए उत्तरोत्तर आर्थिक स्वतंत्रता के संबंध में भिन्न-भिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में किए गए उपायों का मूल्यांकन;

(ट) महिलाओं और बालिकाओं के प्रति मनोभाव संबंधी परिवर्तनों की आवश्यकता पर आम जागरूकता में वृद्धि करने के संबंध में भिन्न-भिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में किए गए उपायों का मूल्यांकन;

(ठ) महिलाओं से संबंधित किसी मामले और विशिष्टितया, उन विभिन्न कठिनाइयों, जिनसे महिलाएं जूझ रही हैं, के बारे में सरकार को कालिक रिपोर्टें।

7. केंद्रीय सरकार द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए अन्य मामलों के संबंध में रिपोर्ट।

प्ररूप-"क"

[नियम 3 (5) देखिए]

आयोग के लेखे

31 मार्च, को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की प्राप्ति और भुगतान लेखा

प्राप्तियां	योजना	योजनेतर	कुल रकम	भुगतान	योजना	योजनेतर	कुल रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. प्रारंभिक अतिशेष				(i) आवर्ती व्यय			
(i) हाथ नकदी				1. (क) स्थापन प्रभार			
(ii) बैंक नकदी				1. वेतन (आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, जिनके अंतर्गत सहयोजित किए गए सदस्यों के मानदेय और भत्ते भी है।			
2. महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सहायता अनुदान				2. वेतन (अधिकारी और स्थापन)			
आवर्ती				3. मजदूरी			
अनावर्ती				4. वृत्तिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान			
3. आयोग द्वारा प्राप्त राजस्व योजना-आवर्ती				5. यात्रा व्यय			
(क) विनिधान							
3. भुनाए गए विनिधानों का अंकित मूल्य							
2. विनिधानों पर ब्याज							
3. बैंक खाते और लघु अवधि जमा पर ब्याज							
(ख) राजस्व प्राप्तियां				(ख) अन्य स्थापन प्रभार			
1. प्रकीर्ण प्राप्तियां				(1) कार्यालय व्यय			
2. आयोग द्वारा प्रभारित फीस यदि कोई हो				(2) किराया, दरें और कर			
3. प्रकाशनों का विक्रय				(3) प्रकाशन			
4. कर्मचारियों को अग्रिमों के लिए ब्याज प्राप्तियां				(4) विज्ञापन और प्रचार			
(ग) ऋण/जमा प्राप्तियां कर्मचारिवृन्द को अग्रिम की वसूली				(5) आतिथ्य व्यय			
(i) गृह निर्माण अग्रिम				(6) मरम्मत/रख-रखाव			
मोटर कार अग्रिम				(7) फर्नीचर और फिक्सचर्स			
अन्य मोटर वाहन अग्रिम				(8) मशीनरी और उपस्कर			
अन्य अग्रिम				(9) मोटर यान			
				(10) यानों का रख-रखाव			
				(11) पेट्रोल, तेल और स्नेहक			
				(12) सम्मेलन और सेमिनार			
				(13) दूरभाष प्रभार			

1	2	3	4	5	6	7	8
(ii) आकस्मिक अग्रिमों की वसूली केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय को अग्रिम प्रदायकर्ताओं को अग्रिम अन्य अग्रिम				(14) अन्य प्रभार (15) मुकदमेबाजी (16) लेखा परीक्षा फीस			
योग :							
(iii) अन्य जमा प्रतिभूति जमा अग्रिम धन जमा (घ) विप्रेषण प्राप्तियां प्रतिनियुक्त व्यक्तियों से साधारण भविष्य निधि अभिदायी भविष्य निधि/ आदि की वसूली अनुज्ञप्ति फीस केन्द्रीय आय-कर सरकार स्वास्थ्य स्कीम डाक जीवन बीमा केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा स्कीम अनावर्ती				(ग) अन्य अभिदाय 1. पेंशन तथा उपदान और पेंशन (जिसके अंतर्गत एल.एस.पी.सी. का सारांशीकरण भी है) 2. निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम (घ) अन्य संगठनों को सहायता 1. विशेष अध्ययन 2. संवर्धनात्मक और शैक्षणिक अनुसंधान (ङ) विनिधान 1. विनिधान (च) आकस्मिक अग्रिम 1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम 2. पूर्ति और व्ययन महा- निदेशालय को अग्रिम 3. प्रदायकर्ताओं को अग्रिम 4. अन्य अग्रिम (छ) कर्मचारिवृन्द को अग्रिम 1. गृह निर्माण अग्रिम 2. मोटर कार अग्रिम 3. अन्य मोटर वाहन अग्रिम 4. अन्य अग्रिम (ज) अन्य समायोजन (विप्रेषण) 1. प्रतिनियुक्त व्यक्तियों से साधारण भविष्य निधि/ अभिदायी भविष्य निधि आदि की वसूली 2. अनुज्ञप्ति फीस 3. आय-कर 4. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम 5. डाक जीवन बीमा 6. सी जी ई जी आई एस/ सी जी ई आई एस (ii) अनावर्ती (क) अन्य स्थापन प्रभार 1. भूमि 2. भवन 3. फर्नीचर और फिक्सचर			

1	2	3	4
		4. मशीनरी और उपस्कर	
		5. मोटर यान	
		6. प्रकाशन	
		(ख) जमा	
		1. प्रतिभूति जमा	
		2. अग्रिम धन जमा	
		(ग) अंत नकद अतिशेष	
		हाथ नकदी	
		बैंक नकदी	
योग :			

31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग—आय और व्यय लेखे

व्यय	योजना	गैर-योजना	कुल व्यय	आय	योजना	गैर-योजना	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आवर्ती				अ. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग से सहायता अनुदान द्वारा			
(क) स्थापन प्रभार				घटाएं—पूंजीकृत सहायता अनुदान की रकम			
1. वेतन (आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जिनके अंतर्गत सहयोजित किए गए सदस्यों की मानदेय और भत्ते भी हैं)				आ. ब्याज मद्दे में प्राप्ति			
2. वेतन (अधिकारी और स्थापन)				(i) विनिधान पर ब्याज			
3. मजदूरी				(ii) बैंक खाते और लघु अवधि जमा पर ब्याज			
4. वृत्तिक और विशेष सेवाओं				इ. अन्य प्राप्तियां			
5. यात्रा व्यय				(i) प्रकीर्ण प्राप्तियां			
(ख) अन्य स्थापन प्रभार				(ii) उपभोग द्वारा प्रभारित फीस आदि यदि कोई हो।			
1. कार्यालय व्यय				(iii) प्रकाशन का विक्रय			
2. किराया, दरें और कर				(iv) कर्मचारियों को अग्रिमों पर ब्याज			
3. विज्ञापन और प्रचार							
4. आतिथ्य व्यय							
5. प्रकाशन							
6. मरम्मत और रख-रखाव							
7. फर्नीचर और फिक्सचर की मरम्मत							
8. मशीनरी और उपस्कर की मरम्मत							
योग :							

राष्ट्रीय महिला आयोग

31 मार्च, 19 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा/भविष्य निधि और सामूहिक बीमा स्कीम आदि

प्राप्तियां	रकम	भुगतान	रकम
अ. साधारण भविष्य निधि		अ. साधारण भविष्य निधि	
(क) आरंभिक अतिशेष		(क) अग्रिम/प्रत्याहरण/अंतिम भुगतान	
(ख) अभिदान			

(ग) अग्रिम की वसूली
(ग) अग्रिम की चिलो
(घ) ब्याज
आ. अभिदायी भविष्य निधि
(क) आरंभिक अतिशेष
(ख) अभिदान
(ग) अग्रिम की वसूली
(घ) राष्ट्रीय महिला आयोग का अभिदान
(ङ) ब्याज
ई. सामूहिक बीमा स्कीम
(क) आरंभिक अतिशेष
(ख) बीमा निधि
(ग) बचत निधि
9. यानों का रख-रखाव
10. पेट्रोल, तेल और स्नेहक
11. सम्मेलन और सेमिनार
12. टेलीफोन प्रभार
13. अन्य प्रभार
14. मुकदमेबाजी
15. लेखा-परीक्षा फीस

(ग) भविष्य निधि और अन्य अभिदान
1. पेंशन और उपदान (जिसके अंतर्गत, पेंशन और एम एम पी सी का संराशित मूल्य भी है)
2. अभिदायी भविष्य निधि में अभिदान
3. निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना
4. अभिदायी भविष्य निधि पर ब्याज
5. साधारण भविष्य निधि पर ब्याज
6. सामूहिक बीमा स्कीम
(क) बीमा निधि
(ख) बचत निधि

(घ) अन्य संगठनों को सहायता
1. विशेष अध्ययन
2. संवर्धनात्मक और शैक्षणिक अनुसंधान व्यय से अधिक आय

—

—

योग :

(ख) अतिशेष का विनिधान
(ग) अंत अतिशेष—बैंक नकदी
आ. अभिदायी भविष्य निधि
आ. अभिदायो भविष्य निधि
(क) अग्रिम/प्रत्याहरण/अंतिम भुगतान
(ख) अतिशेष का विनिधान
(ग) अंत अतिशेष—बैंक नकदी
ई. सामूहिक बीमा स्कीम
(क) बीमा के लिए भुगतान
(ख) बचत निधि का भुगतान
(ग) विनिधान
(घ) अंत अतिशेष नकदी

आय से अधिक व्यय

राष्ट्रीय महिला आयोग

31 मार्च का तुलन पत्र

दायित्व		रकम	आस्तियां		रकम
पूंजी आस्ति निधि	अनुसूची—1		स्थिर आस्तियां	अनुसूची—क	
व्यय से अधिक आय	अनुसूची—2		विनिधान	अनुसूची—ख	
			आकस्मिक अग्रिम	अनुसूची—ग	
वर्तमान दायित्व और उपबंध			अन्य उधार और अग्रिम	अनुसूची—घ	
			प्रतिभूति जमा	अनुसूची—ङ	
विप्रेषण	अनुसूची—3		भविष्य निधि आदि	अनुसूची—च	
भविष्य निधि, आदि	अनुसूची—4		विविध देनदार		
विविध लेनदार	अनुसूची—4		अंत अतिशेष		
			हाथ—नकदी		
			बैंक—नकदी		
योग :					

राष्ट्रीय महिला आयोग

अनुसूची—1—पूंजी आस्ति निधि

क्र. सं.	विवरण	आरंभिक अतिशेष	परिवर्धन	बट्टे-खाते में डाली गई रकम	अंत अतिशेष
1.	भूमि				
2.	भवन				
3.	फर्नीचर और फिक्सचर				
4.	मशीनरी और उपस्कर				
5.	यानें				
6.	प्रकाशन				
7.	दान/संदाय की गई आस्तियां				
8.	अन्य				
	योग				

सदस्य-सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

अनुसूची—2 व्यय से अधिक आय

क्र. सं.	विवरण	रकम
1.	अंतिम तुलनपत्र के अनुसार अति शेष	
2.	व्यय से अधिक आय	
3.	अन्य	
	योग	

सदस्य-सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

अनुसूची—3 विप्रेषण

क्र. सं.	विवरण	आरंभिक अति	परिवर्धन	विप्रेषित	रकम	अंत अति शेष
1.	प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारिवृन्द से साधारण भविष्य निधि, आदि की वसूली					
2.	अनुज्ञप्ति फीस					
3.	आय-कर					
4.	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम					
5.	डाक जीवन बीमा					
6.	केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा स्कीम					
7.	अन्य					
	योग :					

सदस्य-सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

अनुसूची—4 भविष्य निधि, आदि

क्र. सं.	विवरण	रकम
1	2	3
अ.	अभिदायी भविष्य निधि	
1.	आरंभिक अति शेष	
2.	अभिदान	
3.	अग्रिम की वसूली	
4.	कमीशन का अभिदान	
5.	ब्याज	
	घटाएं : अग्रिम/अंतिम भुगतान/विनिधान	
	उप-योग :	
आ.	साधारण भविष्य निधि	
1.	आरंभिक अति शेष	
2.	अभिदान	
3.	अग्रिम की वसूली	
4.	ब्याज	
	घटाएं : अग्रिम/अंतिम भुगतान/विनिधान	
	उप-योग :	

1	2	3
इ. समूह बीमा स्कीम		
(क) बचत निधि		
1. आरंभिक अतिशेष		
2. अभिदान		
3. ब्याज		
घटाएं : भुगतान/विनिधान		
		उपयोग :
(ख) बीमा निधि		
1. आरंभिक अतिशेष		
2. अभिदान		
3. ब्याज		
घटाएं : भुगतान/विनिधान		
		उपयोग :
कुल योग :		

सदस्य-सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

अनुसूची 5 विविध लेनदार/अन्य देयताएं

क.सं.	विवरण	आरंभिक अतिशेष	परिवर्धन	पुनर्भुगतान	कुल रकम
1.	प्रतिभूति जमा				
2.	अग्रिम धन जमा				
3.	विविध लेनदार				
4.	अन्य दायित्व				
	योग :				

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

अनुसूची क—पूंजी आस्ति निधि

क.सं.	विवरण	आरंभिक अतिशेष	परिवर्धन	बट्टे खाते में डाली गई अपलिखित रकम	अंत अतिशेष
1.	भूमि				
2.	भवन				
3.	फर्नीचर और फिक्स्चर				
4.	मशीनरी और उपस्कर				
5.	यानें				
6.	प्रकाशन				
7.	दान/संदान की गई आस्तियां				
8.	अन्य				
	योग :				

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

अनुसूची–ख–विनिधान

क.सं.	विवरण	रकम
	————————के पास सावधि जमा	
	(क) प्रारंभिक प्रतिशेष	
	(ख) किये गये विनिधान	
	(ग) भुनाए गए विनिधान	
	(घ) अंत प्रति शेष	

राष्ट्रीय महिला आयोग

अनुसूची–ग—आकस्मिक और अन्य अग्रिम

क.सं.	विवरण	प्रारंभिक प्रतिशेष	परिवर्धन	वसूलियां	प्रतिशेष रकम
अ.	आकस्मिक अग्रिम				
(क)	केंन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम				
(ख)	पूर्ति और व्ययन महा-निदेशालय को अग्रिम				
(ग)	प्रदाय कर्ताओं को अग्रिम				
आ.	कर्मचारियों को अग्रिम				
(क)	गृह निर्माण अग्रिम				
(ख)	मोटर कार अग्रिम				
(ग)	अन्य मोटर वाहन अग्रिम				
(घ)	अन्य अग्रिम				
इ.	अन्य अग्रिम				
	योग :				

सदस्य-सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

अनुसूची घ—प्रतिभूति अग्रिम धन

क.सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष	परिवर्धन	पुनर्भुगतान	अंत प्रतिशेष
1.	प्रतिभूति जमा				
2.	अग्रिम धन जमा				
	योग :				

सदस्य-सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

अनुसूची–ङ—विविध देनदार

क.सं.	विवरण	प्रारंभिक प्रतिशेष से	परिवर्धन	समायोजन	अंत प्रतिशेष
	क.				
	ख.				
	ग.				
	घ.				
	योग :				

सदस्य-सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग
सारणी ई—भविष्य निधि आदि

क्रम सं.	विवरण	राशि
क.	अंशदायी भविष्य निधि	
	अथशेष	
	जोड़ें—वर्ष के दौरान किया गया निवेश	
	घटाएं—भुनाया गया निवेश	
	नकद बकाया राशि	
ख.	सामान्य भविष्य निधि	
	अथशेष	
	जोड़ें—वर्ष के दौरान किया गया निवेश	
	घटाएं—भुनाया गया निवेश	
	नकद बकाया राशि	
ग.	सामूहिक बीमा योजना	
	(1) बचत खाता	
	जोड़ें—वर्ष के दौरान किया गया निवेश	
	घटाएं—भुनाया गया निवेश	
	नकद बकाया राशि	
	(ii) बीमा निधि	
	जोड़ें—वर्ष के दौरान किया गया निवेश	
	घटाएं—भुनाया गया निवेश	
	नकद बकाया राशि	
	जोड़	

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Women & Child Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 1995

G.S.R. 22(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the National Commission for Women (Annual Statement of Accounts and Annual Report) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:—In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990);

(b) "Audit Officer" means the Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Commission;

(c) "Commission" means the National Commission for Women constituted under section 3 of the Act;

(d) "Form" means a form annexed to these rules.

3. Accounts of the Commission:—(1) The annual statement of accounts of the Commission for every financial year shall be prepared by the Member-Secretary or such officer of the Commission as may be authorised by the Member-Secretary in this behalf.

(2) The annual statement of accounts duly approved by the Commission shall be submitted by the Member-Secretary to the Central Government by such date as may be specified by the Central Government.

(3) The Commission shall forward to the Central Government quarterly reviews of the progress of expenditure incurred and the expenditure likely to be incurred during the remaining part of the financial year as and when called for by the Central Government.

(4) The Member-Secretary shall supervise the maintenance of the accounts of the Commission, the compilation of financial statement and returns and shall also ensure that all accounts, books, connected vouchers and other documents and papers of the Commission required by the Audit Officer for the purpose of auditing the accounts of the Commission are placed at the disposal of that officer.

(5) The accounts of the Commission including initial accounts with effect from the date of its constitution shall be maintained in Form A.

(6) The annual statement of accounts shall be signed and authenticated by the Member-Secretary.

(7) The annual statement of accounts shall be submitted to the Audit Officer on or before the 30th of June folloing the year to which the accounts relate and the Audit Officer shall audit the accounts of the Commission and report thereon.

(8) The Commission shall, within thirty days of receipt of Audit Report, remedy any defect or irregularity pointed out therein and report to the Central Government and the Audit Officer about the action taken by it thereon.

4. Annual Report of the Commission.—(1) The Member-Secretary or any other officer of the Commission duly authorised by the Member-Secretary in this behalf shall prepare, in Form B, the annual report referred to in Section 13 of the Act on or before the 31st day of July following the financial year to which that report relates.

(2) The annual report referred to in sub-rule (1) after approval by the Commission shall be signed and authenticated by the Member-Secretary.

(3) Copies of the authenticated report shall be submitted by the Member-Secretary to the Central Government by the end of August following the year to which the annual report relates to enable the Central Government to take action as required under section 14 of the Act.

[F. No. 9-61|90-WW]
S. K. GUHA, Jt. Secy.

FROM B

[See Rule 4(12)]

ANNUAL REPORT

Annual Report for, the financial year
April 19 ——— 19 ———

1. Introduction
2. Constitution of Commission, including changes therein
3. Meetings of the Commission,
4. Appointment of Committees
5. Meetings of the Committees.
6. Brief report on—(a) the investigation and examination of the safeguards provided for women under the Constitution and other laws and the recommendations thereon;
   (b) the review of the existing provisions of the Constitution and other laws affecting women and recommendations as to amendments thereto and suggested legislative measures ;
   (c) violation of provisions of the Constitution, other laws, deprivation of women's rights, non-compliance of policy decisions, guidelines, instructions, etc., taken up with the appropriate authorities;
   (d) special studies or investigations into specific problems or situations arising out of discrimination and atrocities against women and recommendations as to the strategy for their removal;
   (e) promotional and educational research undertaken by the Commission for ensuring representation of women in all spheres;
   (f) inspection of jails, remand homes, women institutions or other similar places of custody for women and remedial action taken thereon;
   (g) funding of litigation involving issues effecting a large body of women ;
   (h) participation in and advice tendered on, the planning process of socio-economic development of women;
   (i) evaluation of steps taken in various States of women under the Union and any State;
   (j) evaluation of steps taken in various States, and Union Territories on progressive economic independence for women;
   (k) evaluation of steps taken in various States and Union Territories on increasing general awareness on need for attitudinal changes towards women and female children;
   (l) periodical reports to Government on any matter pertaining to women and in particular various difficulties under which women toil;
7. A report on other matters referred to the Commission by the Central Government.

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH

LIABILITIES		AMOUNT	ASSETS		AMOUNT
Capital Asset Fund	Schedule 1		Fixed Assets	Schedule A	
Excess of Income over Expenditure	Schedule 2		Investments	Schedule B	
Current Liabilities & Provisions			Contingent Advances	Schedule C	
Remittances	Schedule 3		Other Loans and Advances	Schedule C	
Provident Funds etc.	Schedule 4		Security Deposit	Schedule D	

Sundry creditors	Schedule 5	Provident Fund etc.	Schedule E
		Sundry Debitors	Schedule F
		Closing Balance	
		Cash in hand	
		Cash at Bank	
	TOTAL		

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

SCHEDULE 1—CAPITAL ASSET FUND

S. No.	Description	Opening Balance	Additions	Amount written off	Closing Balance
1.	Land				
2.	Buildings				
3.	Furniture & Fixtures				
4.	Machinery & Equipment				
5.	Vehicles				
6.	Publications				
7.	Gifted/Donated Assets				
8.	Others				
	TOTAL				

MEMBER SECRETARY

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

SCHEDULE 2—EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE

S. No.	Description	Amount
1.	Balance as per last Balance Sheet	
2.	Excess of Income over Expenditure	
3.	Others	
	TOTAL:	

MEMBER SECRETARY

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

SCHEDULE 3—REMITTANCES

S. No.	Description	Opening Balance	Additions	Amounts Remitted	Closing Balance
1.	General Provident Fund etc. recovery of staff on deputation				
2.	Licence Fee				
3.	Income Tax				
4.	Central Govt. Health Scheme				
5.	Postal Life Insurance				
6.	Central Govt. Employees Group Insurance Scheme				
7.	Others				
	TOTAL :				

MEMBER SECRETARY

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

SCHEDULE 4—PROVIDENT FUNDS ETC.

S. No.	Description	Amount
A.	Contributory Provident Fund	
	1. Opening Balance	
	2. Subscription	
	3. Recovery of Advance	
	4. Commission's Contribution	
	5. Interest	
	Less: Advance/Final payments/Investments	
	Sub Total:	
B.	General Provident Fund	
	1. Opening Balance	
	2. Subscription	
	3. Recovery of Advance	
	4. Interest	
	Less : Advance/Final payment/Investments	
	Sub Total:	
C.	Group Insurance Scheme	
	(a) Saving Fund	
	1. Opening Balance	
	2. Subscription	
	3. Interest	
	Less : Payments/Investments	
	Sub Total:	
	(b) Insurance Fund	
	1. Opening Balance	
	2. Subscription	
	3. Interest	
	Less : Payments/Investments	
	Sub Total:	
	Grant Total:	

MEMBER SECRETARY

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

SCHEDULE 5—SUNDRY CREDITORS/OTHER LIABILITIES

S. No.	Description	Opening Balance	Additions	Repayments	Total Amount
1.	Security Deposit				
2.	Earnest Money Deposit				
3.	Sundry Creditors				
4.	Other Liabilities				
	TOTAL:				

MEMBER SECRETARY

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

SCHEDULE A—CAPITAL ASSET FUND

S. No.	Descriptions	Opening Balance	Additions	Amount written off	Closing Balance
1.	Land				
2.	Buildings				
3.	Furniture & Fixture				
4.	Machinery & Equipment				
5.	Vehicles				
6.	Publications				
7.	Gifted/Donated Assets				
8.	Others				
	TOTAL:				

MEMBER SECRETARY

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

SCHEDULE B—INVESTMENTS

S. No.	Details	Amount
	Fixed Deposits with	
(a)	Opening Balance	
(b)	Investments made	
(c)	Investments Encashed	
(d)	Closing Balance	

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

SCHEDULE C—CONTINGENT & OTHER LOANS AND ADVANCES

S. No.	Description	Opening Balance	Additions	Recoveries	Balance Amount
A.	Contingent Advance				
	(a) Advances to CPWD				
	(b) Advance to DGS&D				
	(c) Advances to Suppliers				
B.	Advances to Employees				
	(a) House Building Advances				
	(b) Motor Car Advance				
	(c) Other Motor Conveyance Advance				
	(d) Other Advances				
C.	Other Advances				
	TOTAL:				

MEMBER SECRETARY

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

SCHEDULE D—SECURITY/EARNEST MONEY DEPOSIT

S. No.	Description	Opening Balance	Additions	Repaid	Closing Balance
1.	Security Deposit				
2.	Earnest Money Deposit				
	TOTAL:				

MEMBER SECRETARY

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

SCHEDULE E—PROVIDENT FUND ETC.

S. No.	Description	Amount
A.	Contributory Provident Fund	
	Opening Balance	
	Add: Investment made during the year	
	Less: Investments encashed	
	Amount of Balance in cash	
B.	General Provident Fund	
	Opening Balance	
	Add: Investment made during the year	
	Less: Investments encashed	
	Amount of Balance in cash	
C.	Group Insurance Scheme	
	(i) Saving Fund	
	Opening Balance	
	Add: Investments made during year	
	Less: Investment encashed	
	Amount of Balance in cash	
	(ii) Insurance Fund	
	Opening Balance	
	Add: Investments made during the year	
	Less: Investments encashed	
	Amount of Balance in cash	
	TOTAL:	

NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

SCHEDULE F—SUNDRY DEBTORS

S. No.	Description	Opening Balance	Additions	Adjustments	Closing Balance
A.					
B.					
C.					
D.					
TOTAL:					

MEMBER SECRETARY

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995